Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/4752/2003/बांरा

सूरजमल पुत्र लक्खा जाति धाकड निवासी बजरंगढ तहसील किशनगंज जिला बांरा

अपीलार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र नन्दा जाति धाकड निवासी बजरंगढ
2. शंकर लाल पुत्र नन्दा जाति धाकड
3. कन्हैया लाल पुत्र नन्दा जाति धाकड
4. गौरी पुत्री नन्दा जाति धाकड
5. छीतरलाल पुत्र गणेराम जाति धाकड
6. बिरया उर्फ बिरधीलाल पुत्र गणेशराम धाकड
8. अयोध्या बाई बेबा नन्दा धाकड

समस्त निवासीयान बजरंगढ तहसील किशनगंज जिला बांरा

9. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के.पारीक अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सी.पी.शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 23.5.2018

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 17-9-03 के विरूद्ध राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के न्यायालय में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद अधिनियम की धारा 88,89,90,91,92,53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत होने के बाद दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित नौ तनकीयात कायम की गई और बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 11-12-2002के द्वारा अपीलार्थी वादी का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17-9-03 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादी का वाद 1/2 हिस्से के लिये नहीं भी माना जावे तो वे रेकार्ड के अनुसार बटवारा कर आदेश पारित करना चाहिये था। गवाह पी डब्लू-1 वादी,पी डब्लू-2 मुकुट बिहारी, पी डब्लू-3 हीरा लाल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लक्खा जी जो वादी के पिता थे, छोटू लाल के 1/2 हिस्से के वारिस हो चुक हैं, जिसे इन्कार नहीं किया जा सकता। छोटू लाल के लाऔलाद मरने पर इन्तकाल नम्बर 500 में छोटू लाल का लाऔलाद फौत होना तस्दीक हुआ था तथा उसकी विरासत के लिये इन्तकाल संख्या 505 दिनांक 15-5-39 दर्ज हुआ। जिसमें छोटू लाल का वारिस लक्खा को माना गया है। इसी इन्तकाल में गणेशराम व उदा ने छोटू लाल की आराजी पर कोई हक न जताना तथा लक्खा को वारिस मानना स्वीकार किया है। जो उदा व गणेशराम की स्वीकारोक्ति है। इस प्रकार लक्खा का 1/2 हिस्सा रेकार्ड व साक्ष्य से पूर्णतः प्रमाणित है। सुक्खा के मरने पर खोले गये इन्तकाल दिनांक 16-5-45 के कालम नं 3 में सुक्खा बेटा झाबू तथा लक्खा बेटा छोटा स्पष्ट दर्ज है।

इन्तकाल संख्या 505 तस्दीक होते समय खाता पेश न होने से उक्त इन्द्राज न हो सका। इससे वादी के 1/2 हिस्से से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि स्व. लक्खा के दो पुत्र चंदा व सूरजमल हुये हैं।चन्दा लाल ला औलाद फौत हो गया है। अतःस्पष्टतः अपीलार्थी वादी ही स्व.लक्खा जी का एकमात्र वारिस है। इन तथ्यों के बाबत प्रतिवादीगण ने भी इन्कार नहीं किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर अपीलार्थी वादी का वाद डिक्री किया जावे।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निषकर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी मूलतः झाझू के खातेदारी की थी। झाझू के दो पुत्र सुक्खा व छोटू थे। छोटू के एकमात्र पुत्री भूरी थी जिसका पुत्र जगन्नाथ व रामनाथ है। सुक्खा के तीन पुत्र उदा, लक्खा व गणेश थे। उदा का पुत्र नन्दा के उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 व प्रत्यर्थी संख्या 8 हैं। लक्खा के दो पुत्र चन्दा व अपीलार्थी हैं तथा पांच पुत्रियां हैं जिन्हें इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। चन्दा ला औलाद फौत हुआ है। गणेश के उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 हैं। इसलिये विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

6. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का आद्योपान्त अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि अपीलार्थी वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि अपीलार्थी लक्खा का एकमात्र उत्तराधिकारी है।लक्खा वादग्रस्त भूमि के खातेदार छोटू के गोद चला गया था। इस प्रकार छोटू का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से पर अपीलार्थी का अधिकार है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1,3,8,9,10व11 में गणेश पुत्र सुक्खा हिस्सा 1/2 नन्दा वल्द उदा, चन्दा सूरज्या पुत्र लक्खा हिस्सा बराबर दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–12 जमाबन्दी सम्बत 2016–2035 जो भू प्रबन्धविभाग की है उसमें भी वादग्रस्त भूमि इसी प्रकार दर्ज है। प्रदर्श–2जमाबन्दी सम्बत 2000 में वादग्रस्त भूमि सुक्खा बंटा झाझू व लक्खा बेटा छोटू के नाम खातेदारी में

दर्ज थी। सम्बत 2001 में वादग्रस्त भूमि उदा,लखा, गणेश बेटा सुक्खा व छोटू के नाम खातेदारी में दर्ज है। सम्बत 2003 से 2007 में वादग्रस्त भूमि उदा लक्खा गणेश बेटा छोटू के नाम खातेदारी में दर्ज है। सम्बत 2009 में उदा के स्थान पर नन्दा का नाम दर्ज हुआ है। प्रदर्श–7 जो नकल जमाबन्दी सम्बत 2012–15 है, में वादग्रस्त आराजी लक्खा गणेश बेटे छोटू , नन्दा नाबालिग बंटा उदा के नाम दर्ज है। इस प्रदर्श में यह नोट भी अंकित है कि इन्काल संख्या 996 से लक्खा के स्थान पर चन्दा व सूरज्या का नाम दर्ज हुआ है।

8. विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि प्रकट नहीं हेाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हम द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य